अति आवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 3576 /प्र.अ./विधि (स्टेनो)/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 16/04/24

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
मंडल................................

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
खंड...................................

विषयः–ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी हुआ है तथा जिन्हें आदेश दिनांक से आगे की न्यूनतम वेतन एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है, के द्वारा नियुक्ति दिनांक के 240 दिवस पश्चात से एरियर राशि एवं दिनांक 01.01.2016 से 15.12.2016 तक की सातवें वेतनमान में एरियर राशि चाहने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में **''अभ्यावेदन निराकरण आदेश''** जारी करने हेतु **''आदेश प्रारूप''** भिजवाने विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह पाया गया है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी हुआ है तथा जिन्हें आदेश दिनांक से आगे की न्यूनतम वेतन एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है, के द्वारा नियुक्ति दिनांक के 240 दिवस पश्चात से एरियर राशि एवं दिनांक 01.01.2016 से 15.12.2016 तक की सातवें वेतनमान में एरियर राशि प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं तथा यह भी पाया गया है कि सामान्य तौर पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं के निर्णय में विभागीय मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता के स्तर से याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये जा रहे हैं।

इस प्रकृति के एक न्यायालयीन प्रकरण में इस कार्यालय के स्तर से अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी किये गये हैं। ऐसा ही एक **''आदेश नमूना''** जिसमें विभागीय पक्ष के सभी संभावित तथ्यों को शामिल किया गया है, आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया ध्यान दे कि इस आदेश प्रारूप में अभ्यावेदन निराकरण आदेश निकालने हेतु याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका, प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं न्यायालयीन निर्णयों का पूर्व अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रकरणवार

आदेश के बिन्दुओं को संशोधित करने एवं प्रकरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जो आपके स्तर से सावधानीपूर्वक की जाना चाहिये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी करते समय, जहाँ तक संभव हो, संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी करें ताकि शासन हित का यथासंभव संरक्षण संभव हो सके।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**
आदेश नमूना–11 पेज

16.4.2024
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 3576 /विधि(स्टेनो)/प्र.अ./लोस्वायांवि./2024 भोपाल, दिनांक 16/04/24

प्रतिलिपी :–

सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**
आदेश नमूना–11 पेज

16.04.2024
प्रमुख अभियंता

आदेश नमूना प्रारूप

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक /प्र.अ.(विधिं)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

//आदेश //

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 30957/2023 (मुंशीलाल पटेल विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खंड ग्वालियर के अधीनस्थ कार्यरत दैनिक वेतन भोगी हेल्पर श्री मुंशीलाल पटेल के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री मुंशीलाल पटेल दैनिक वेतन भोगी हेल्पर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क. 30957/2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> (अ)प्रतिवादियों को निर्देश दिये जावे कि वे वादी कर्मचारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामनरेश रावत (सुप्रा) प्रकरण में निर्धारित विधि के अनुसार हेल्पर के पद का न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि दिनांक 28.04.89 से दिनांक 14.10.2004 तक की तथा पुनरीक्षित वेतनमान में एरियर राशि दिनांक दिनांक 01.01.2016 से 14.12.2016 तक की ब्याज सहित भुगतान करें।

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> 6. Considering the submissions and the fact situation, this petition is disposed of with direction to the petitioner to prefer a fresh representation along with certified copy of this order raising all grievances before the competent authority/respondents, as the case may be within one month from today and if such representation is preferred then the same shall be considered taking into all relevant facts and documents attached with the representation and decided in accordance with law, within a period of three months from the date of submission of representation.
>
> 7. Petition is disposed of accordingly

(3) रिट याचिका क. 30957/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के अनुक्रम में वादी कर्मचारी की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 19.01.2024 को सहायक यंत्री मैकेनिकल उपखण्ड गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नानुसार है :–

> प्रति,
>
> श्रीमान मुख्य अभियंता
> लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विभाग
> मैकेनिकल, सतपुडा भवन, भोपाल
>
> विषय :– प्रार्थी को वर्गीकरण दिनांक 28.04.1989 से 14.12.2005 तक वर्गीकृत पद का ग्रेडिड वेतनमान की दर से माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा रामनरेश रावत के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भुगतान करने बावत।
संदर्भ :– माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा याचिका कमांक 30957 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2023

आदरणीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नाकिंत आवेदन प्रस्तुत है :–

1. यह कि विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल खंड में दिनांक 01.09.1988 से हेल्पर के पद पर लगातार कार्यरत है। प्रार्थी को आदेश दिनांक 15.10.2004 के द्वारा स्थाई वर्गीकृत घोषित कर दिया गया था किन्तु स्थाई के बाद भी प्रार्थी को स्थाई कर्मचारी के लाभ न देने के कारण प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका 4885 / 2011 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2011 प्रार्थी के जैसी अन्य याचिकाओं में आदेश पारित कर प्रार्थी को वर्गीकरण दिनांक से वर्गीकृत पद का नियमित वेतनमान की दर से वेतन के अंतर की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

2. यह कि, यहां पर यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.12.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी की याचिका के साथ अन्य याचिकाओं का निराकरण किया गया था जिनमें से अधिकतर याचिकाकर्ता प्रार्थी के साथ कॉमन आदेश दिनांक 15.10.2004 द्वारा स्थाई वर्गीकृत घोषित किए गए थे एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त कॉमन आदेश दिनांक 14.12.2011 के विरूद्ध अधिकतर याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को युगलपीठ एवं उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो कालांतर में दिनांक 21.01.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई और उन अपीलों की रिव्यू पिटीशन भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई।

3. यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2015 द्वारा मध्यप्रदेश शासन को इस प्रकार के प्रकरणों में वेतन के अंतर की राशि का भुगतान करने हेतु 8 माह का समय दिया गया था किंतु उक्त समय में भी माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न किए जाने के कारण राम नरेश रावत विरूद्ध अश्वनी कुमार अवमानना प्रकरण 771 / 2015 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वर्गीकृत कर्मचारी को वर्गीकृत पद का नियमित वेतनमान वर्गीकृत दिनांक से प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु श्रीमान प्रमुख अभियंता के आदेश दिनांक 07.04.2022 द्वारा प्रार्थी को वर्गीकृत आदेश दिनांक 15.10.2004 से 31.12.2021 तक का ग्रेडिड पे स्केल का न्यूनतम की दर से भुगतान किया गया है जबकि प्रार्थी के साथ ही आदेश दिनांक 15.10.2024 द्वारा सरल कमांक 8 पर अंकित श्री अश्विनी कुमार

श्रीवास्तव को श्रीमान मुख्य अभियंता के आदेश कमांक 28 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उसके वर्गीकृत दिनांक 28.05.1989 से वर्गीकृत का लाभ प्रदान किया गया है। प्रार्थी द्वारा दुखित होकर एक याचिका कमांक 30957/2023 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2023 को आदेश पारित कर प्रार्थी के प्रकरण में भी अश्विनी कुमार के समान लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रार्थी को वर्गीकृत दिनांक 28.04.1989 से हेल्पर के पद के ग्रेडिड वेतनमान की दर से वेतन के अंतर की राशि का शीघ्र भुगतान करने की कृपा करें। और उसी कम में प्रार्थी को दिनांक 01.01.2016 से वेतन का पुनरीक्षण कर भुगतान करने की कृपा करें ।

(4) रिट याचिका कमांक 30957/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खंड ग्वालियर के के अधीनस्थ कार्यरत वादी कर्मचारी के स्वत्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन में मांग की गयी है कि उसे स्थायी वर्गीकृत किये जाने के दिनांक 28.04.89 से हेल्पर के पद का न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि दिनांक 14.10.2004 तक की तथा पुनरीक्षित वेतनमान में एरियर राशि दिनांक दिनांक 01.01.2016 से 14.12.2016 तक की ब्याज सहित भुगतान की जावे।

इस संबंध में यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश कमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के आशय को समझने में अधिनस्थ कार्यरत अधिकांश कार्यपालन यंत्री कार्यालयों द्वारा चूक किये जाने के कारण उनके अधिनस्थ कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत घोषित किया गया था। इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश कमांक 6206 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि आदेश कमांक 1139 दिनांक 03.02.2003 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन में मात्र ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो रिक्त पद के विरूद्ध कार्य कर रहे हो, उन्हें ही स्थायी वर्गीकृत किया जाना था। प्रमुख अभियंता कार्यालय के इन्ही निर्देशों के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री मैकेनिकल खंड ग्वालियर के आदेश क्रमांक 68 दिनांक 08/08/2011 के माध्यम से वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री मुंशीलाल पटेल के सम्बन्ध में जारी किये गए स्थायी वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर दिया गया था ।

म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परिपत्र कमांक एफ16–01/2016/1/चौतीस भोपाल दिनांक 18.01.2017 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7 अगस्त 2018 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के आदेश कमांक 8785 दिनांक 10.10.2018 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री स्तर से स्थायी वर्गीकरण के संबंध में की गयी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की जांच मुख्य अभियंता स्तर से की जाकर, त्रुटिपूर्ण स्थायी वर्गीकरण आदेशों को निरस्त करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये थे। वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री मुंशीलाल पटेल के स्थाई

वर्गीकरण के सम्बन्ध में भी मुख्य अभियंता (वि/या) भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1319 दिनांक 29.04.2019 के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश कमांक 48 दिनांक 31.05.2019 के माध्यम से, उनको स्थाई वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश को, प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कर दिया गया था । उपरोक्तानुसार वादी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्री मुंशीलाल पटेल को स्थाई वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश अस्तित्व में ही नहीं है ।

इस संबंध में भी यह स्पष्ट किया जाता है कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "म0प्र0 शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा (2007 1 एस.सी.सी.575)" एवं अवमानना याचिका कमांक 771/2015 "रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य"** में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया है कि मात्र 6 माह/240 दिवस पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य करने से स्थाई वर्गीकरण की पात्रता उत्पन्न नहीं होती, जब तक कि इस हेतु स्थाई वर्गीकृत रिक्त पद उपलब्ध न हो।

श्री मुंशीलाल पटेल के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में नियोजन के समय मैकेनिकल खंड ग्वालियर के अधीनस्थ स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी के पद ना तो स्वीकृत थे और ना ही रिक्त थे ऐसी स्थिति में श्री मुंशीलाल पटेल रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं थे तथा निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों के अनुसार वे स्थायी वर्गीकरण के योग्य भी नहीं थे :-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 6678/2004, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ओमकार प्रसाद पटेल निर्णय दिनांक 07.12.2005
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 5185/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा निर्णय दिनांक 24.11.2006
3. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 7006-7008/2009, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.09.2015
4. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 1265/2006, म.प्र.हाउसिंग बोर्ड विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव निर्णय दिनांक 24.02.2006
5. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील कमांक 337/2002, महेन्द्र एल.जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.11.2004
6. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन कमांक 1992/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध साहब सिंह, निर्णय दिनांक 05.05.2011
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 4148/2000, 4149/2000, 4151/2000 एवं 4152/2000 दिनांक 02.02.2017

उपरोक्तानुसार वादी कर्मचारी श्री मुंशीलाल पटेल द्वारा की गयी मांग कि उन्हें वर्गीकृत दिनांक 28.04.1989 से हेल्पर के पद के ग्रेडिड वेतनमान की दर से वेतन के अंतर की राशि का भुगतान किया जावे, उनके स्थाई वर्गीकरण आदेश के प्रारम्भ से ही शून्य घोषित हो जाने के कारण , किसी भी तरह के विधिक तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण अमान्य की जाती है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद वादी कर्मचारी के मामले में उन्हें दिनांक 15.10.2004 से दिनांक 31.12.2021 तक की एरियर राशि भुगतान की जा चुकी है।

यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के नियमित/कार्यभारित /दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण रूप से प्राप्त हुये है

तो इस आधार पर **उन्हें** भी स्थायी वर्गीकृत के दिनांक से एरियर राशि की पात्रता नहीं नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **"इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य" [(1997) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के नियमित/कार्यभारित /दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अन्य किसी विधिक आधार पर प्राप्त हुये है तो ऐसे मामलो में समानता के आधार पर समान लाभ की मांग करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है ।

(ii) वादी **कर्मचारी** द्वारा उनके अभ्यावेदन में प्रस्तुत की गयी दिनांक 28.04.89 से दिनांक 14.10.2004 तक की अवधि की वेतन एरियर राशि तथा पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से 14.12.2016 तक की एरियर राशि की मांग का निर्धारण एक अन्य सिद्धांत जो निम्न विधिक अधिनियमों एवं न्याय दृष्टांतों में समाहित है, के आधार पर भी किया जाता है :-

(अ) परिसीमा अधिनियम 1963 में जिस प्रकृति के प्रकरणों के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने सीमा निर्धारित की गई है, उस प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर, अन्य सभी तरह के प्रकरणों हेतू समय-सीमा **Cause of Action** उत्पन्न होने के उपरांत अधिकतम 03 वर्ष तक निर्धारित की गई है। त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारना एवं ऐसे सुधार से उत्पन्न होने वाली वेतन अंतर राशि का भुगतान प्राप्त करना , सम्बन्धी प्रकरण इसी प्रकृति के अंतर्गत आते है । उपरोक्तानुसार इस प्रकृति के प्रकरणों में याचिकाकर्ता कर्मचारियों को अपने दावों के सम्बन्ध में **Cause of Action** उत्पन्न होने के **03 वर्ष** के भीतर न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना चाहिए ।

(ब) समान प्रकृति के 02 प्रकरणों क्रमशः रिट पिटीशन क 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं 11 अन्य विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022 एवं रिट पिटीशन क. 13892/2022 (ह्रदयराम यादव एवं 10 अन्य विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, में निम्नानुसार उल्लेख है :-

The law laid down by the Supreme Court in the case of **M.R. Gupta Versus Union of India and Others (1995) 5 SCC 628** provides that the law of limitation will be applicable and the petitioners will not be entitled to claim arrears of salary for which the cause of action arises on every 1st day of the month when their salary

becomes due for a period exceeding three years prior to the date of filing of the writ petition.

Accordingly, this writ petition can be disposed of modifying the order dated 10.11.2020 passed by the Gwalior Bench of the High Court of Madhya Pradesh in Writ Petition No.16421/2020 (Rakesh Kumar Shrivastava & Others versus State of Madhya Pradesh & Others) to the extent **that in case the petitioners' classification is intact then they will be entitled to the minimum of pay scale admissible to the post on which they are working in the light of the law laid down by the Supreme Court in the case of Ram Naresh Rawat versus Ashwini Ray 2017 (Volume 3) SCC 436 but their arrears will be restricted for a period of three years prior to the date of filing of the present writ petition** i.e. three years prior to 1.4.2022 in the light of the law laid down by the Supreme Court in the case of M.R. Gupta Versus Union of India and Others (supra).

In above terms, this writ petition is disposed of.

(स) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन क. 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, में निम्नानुसार उल्लेख है :–

It is made clear that if respondents authorities found paid for permanent classification, then to pay him wages in accordance with the law laid down by Supreme Court in Ram Naresh Rawat (supra). However, it is made clear that arrears will be restricted to a period of three years and notional fixation will be made as revised from time to time.

(द) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा निर्णित इस प्रकृति के 01 अन्य प्रकरण रिट पिटीशन क 11036/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

This Court has granted benefit to similarly situated employees vide its order dated 02.06.2012 in case of A.L. Thakur (supra). Petitioner was sleeping over his right and

did not file writ petition immediately. However, considering the fact that fixation of pay and grant of pay scale is recurring cause of action, therefore, it is ordered that petitioner may be granted similar benefit of pay scale mentioned above and petitioner shall be entitled to revised pay scale and pension. **Petitioner is only entitled for arrears of his pay scale for period of three years prior to date of filing of writ petition i.e. 24.06.2021.**

इस निर्णय के विरुद्ध की युगल पीठ के समक्ष दायर की गयी रिट अपील क 808/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 सितम्बर 2021 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

Even that argument of the learned counsel for the appellant is hardly convincing because the appeal itself was dismissed by the Division Bench on 09.12.2013 and an SLP thereagainst was dismissed on 09.01.2015 by the Supreme Court. The writ petition has been filed highly belatedly on 24.06.2021. **In our view, therefore, the direction of the learned Single Bench to confine the payment of arrears of his pay scale for the period of three years prior to the date of filing writ petition, cannot be faulted.**

However, it is clarified that the appellant shall be entitled to notional benefits of fixation of pay and grant of pay scale and also the revision of the retiral benefits/pension for the intervening period while computing the arrears of three years and also the revised pension which is to be now paid to him while making compliance of the order of the learned Single Judge which shall be made within the period of two months from the date a copy of this order is produced before the respondents.

With the aforesaid direction, the writ appeal is disposed of

(ई) विभाग द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा पारित किये गये निर्णयों में उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांत **"एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य**

(1995) 5 SCC 628'' का अध्ययन किया गया है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निम्न दो बिन्दुओं का अभिनिर्धारण किया गया है :–

(i) त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्त होने वाले मामलों में "Cause of action" यानि **''विवाद का कारण''** सिर्फ एक बार उस समय पैदा नहीं होता जबकि जिस समय कोई लाभ दिया जाना था, नहीं दिया गया अथवा सरकार द्वारा कर्मचारी के दावे को खारिज कर दिया गया हो । बल्कि यह निरंतर रूप से हर माह भुगतान होने वाले वेतन के साथ उत्पन्न होते रहता है क्योंकि उसे जो वेतन मिल रहा है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। जब तक कर्मचारी सेवा में है तब तक हर माह उसे मिलने वाले वेतन के साथ ही एक ताजा "Cause of action" उत्पन्न होता है। इसे "Continuous cause of action" का सिद्धांत कहा जाता है। उपरोक्तानुसार गलत वेतन को सुधारने के मामलों में लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिये, निर्धारित अवधि की गणना करते समय सेवारत रहते हुये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

(ii)यदि आवेदक का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के समय के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में आवेदक का दावा यदि कोई है जो त्रुटिपूर्ण वेतन प्राप्ति के कारण वेतन एरियर की प्राप्ति से संबंधित है, जिसकी गणना वेतन अंतर की राशि के आधार पर की जाती है तो वह लिमिटेशन एक्ट में दी गई समय–सीमा के अंतर्गत आयेगा और वह एक्ट में प्रावधानित अवधि से अधिक अवधि की एरियर राशि का पात्र नहीं होगा। यानि प्रकरण दायर करने में **03 वर्ष से अधिक का** विलंब करने का खामियाजा याचिकाकर्ता कर्मचारी को एरियर राशि के नुकसान के रूप में भुगतना होगा। यद्यपि उसके वर्तमान वेतन को काल्पनिक निर्धारण के आधार पर पूर्णतः सुधार दिया जावेगा।

(फ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 5151–5152 /2008** **"भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह"** में पारित निर्णय **दिनांक 13 अगस्त 2008** में **"एम.आर. गुप्ता (सुप्रा)"** में निर्धारित इस सिद्वांत का अनुसरण करते हुए एक अन्य निर्णय **Shiv Dass v. Union of India and Others (2007) 9 SCC 274** का उल्लेख करते हुए उस निर्णय के निम्न भाग का उल्लेख किया गया है :–

> 10. In the case of pension the cause of action actually continues from month to month. That, however, cannot be a ground to overlook delay in filing the petition. ... **If petition is filed beyond a reasonable period say three years normally the Court would reject the same or restrict the relief which could be granted to a reasonable period of about three years."**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में **recurring/successive wrongs** के सिद्वांत को प्रतिपादित करते हुए निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

> 5. To summarise, normally, a belated service related claim will be rejected on the ground of delay and laches (where remedy is sought by filing a writ petition) or limitation (where remedy is sought by an application to the Administrative Tribunal). One of the exceptions to the said rule is cases relating to a continuing wrong. Where a service related claim is based on a continuing wrong, relief can be granted even if there is a long delay in seeking remedy, with reference to the date on which the continuing wrong commenced, if such continuing wrong creates a continuing source of injury. But there is an exception to the exception. If the grievance is in respect of any order or administrative decision which related to or affected several others also, and if the re-opening of the issue would affect the settled rights of third parties, then the claim will not be entertained. For example, if the issue relates to payment or re-fixation of pay or pension, relief may be granted in spite of delay as it does not affect the rights of third parties. But if the claim involved issues relating to seniority or promotion etc., affecting others, delay would render the claim stale and doctrine of laches/limitation will be applied. In so far as the consequential relief of recovery of arrears

for a past period, the principles relating to recurring/successive wrongs will apply. **As a consequence, High Courts will restrict the consequential relief relating to arrears normally to a period of three years prior to the date of filing of the writ petition.**

उपरोक्तानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Tarsem Singh (supra)** प्रकरण में, न्यायलय के समक्ष प्रकरण दायर करने में 16 वर्ष के विलम्ब ने सम्बंधित एरियर राशि के दावे को प्रभावित किया था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 16 वर्ष की एरियर राशि देने के आदेश को अपास्त कर दिया था। मान न्यायलय द्वारा एरियर राशि सम्बन्धी सहायता को रिट पिटीशन दायर करने से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया था।

(य) माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मान उच्च न्यायलय इस सिद्धांत का अनुसरण निरंतर रूप से निम्न अन्य दृष्टांतो में भी किया गया है :–

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022 "रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन"** में पारित निर्णय **दिनांक 18 मई 2022**

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 "असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम"** में पारित निर्णय **दिनांक 12 अक्टूबर 2015**

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 'मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव"** में पारित निर्णय **दिनांक 07 अक्टूबर 2009**

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 4349 /2023 " धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य"** में पारित निर्णय **दिनांक 11 जुलाई 2023**

(v) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा **रिट पिटीशन कमांक 17459/2023 (चंद शेखर चौरे बनाम म. प्र**

शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय **दिनांक 24 जुलाई 2023**

(5) कंडिका 4 **(ii)** में उल्लेखित न्यायदृष्टांतो के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी को किसी दावे के लिए रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की एरियर राशि प्राप्त करने की पात्रता आती है । इस प्रकरण में यह पाया गया है की वादी कर्मचारी श्री मुंशीलाल पटेल द्वारा दैनिक वेतन भोगी सेवाकाल दिनांक 28.04.89 से दिनांक 14.10.2004 तक की न्यूनतम वेतनमान एवं वेतन अंतर की राशि तथा पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक दिनांक 01.01.2016 से 14.12.2016 तक की एरियर राशि प्राप्त करने के लिये दिनांक 13.12.2023 को रिट याचिका दायर की गयी है तथा उपरोक्त रिट याचिका के आधार पर **उन्हें** दिनांक 13.12.2020 के **पूर्व की एरियर** राशि पाने की पात्रता नहीं आती है। इस संबंध में उनका दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों में दी गई एवं माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित की गई समय–सीमा के बाहर होने के कारण अमान्य किया जाता है। **उपरोक्तानुसार श्री मुंशीलाल पटेल , दैनिक वेतन भोगी हेल्पर , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, मैकेनिकल खंड ग्वालियर द्वारा दायर की गयी रिट याचिका कमांक 30957/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के परिपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 19.01.2024 को अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।**

प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक /प्र.अ.(विधिं)/लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– उप सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2– मुख्य अभियंता (वि./यां.), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– अधीक्षण यंत्री (प्रशा) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित ।

4– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.विभाग मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– संबंधित श्री मुंशीलाल पटेल, दैनिक वेतन भोगी हेल्पर, निवासी – हैरीटेज होटल के पास, माँकि माता के सामने , वार्ड नंबर 10, कनेरा , सागर (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रमुख अभियंता